

न्यायालय म.प्र.राजस्व मण्डल केन्द्र ग्वालियर मध्यप्रदेश
प्रकरण क्रमांक:- 192 निगरानी - R-3419-PB/12

अभिलेख क्र. 218
दिनांक 24-9-2012
अ.युक्त कार्यालय
उज्जैन, सभाग

218
24/9/2012

अ.युक्त कार्यालय
उज्जैन
24/9

09. केलाशदास पिता नरसिंहदास
02. बद्रीदास पिता नरसिंहदास
03. कान्ताबाई पति स्व० नरसिंहदास
निवासीगण ग्राम भोमलवास तह०
बड़नगर जिला उज्जैन
04. ताराबाई पिता नरसिंहदास पति
मदनदास निवासी खंडीगारा तहसील
बदनावर जिला धार
05. शिवकान्ताबाई पिता नरसिंहदास
पति गोपलदास निवासी ग्राम मलोड़ा
तहसील बड़नगर जिला उज्जैन
(म०प्र०)

.....आवेदकगण

विरुद्ध

09. कमलदास पिता बंशीदास बैरागी
02. बाबुदास पिता बंशीदास बैरागी
03. घनश्यामदास पिता बंशीदास बैरागी
04. रामप्यारीबाई पति स्व० बंशीदास
समस्त निवासीगण ग्राम भोमलवास
तहसील बड़नगर जिला उज्जैन
(म०प्र०)

.....अनावेदकगण

पुनरीक्षण प्रार्थना-पत्र अर्न्तगत धारा 50 म.प्र.भू.रां. संहिता विरुद्ध
अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय बड़नगर जिला उज्जैन
प्रकरण क्रमांक 67/99.92/अपील में पारित आदेश दिनांक 22/05/92
से असन्तुष्ट एवं दुखित होकर निम्न कारणों के आधार पर पुनरीक्षण अन्दर
अवधि प्रस्तुत करता है।

01- यह कि, अधीनस्थ योग्य न्यायालय का आदेश जैर निगरानी
विधि-विधान एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने
योग्य है।

3


अ.यु.

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3419-पीबीआर/12

जिला - उज्जैन

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10/11/19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री ए.आर. यादव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.4.19 को कलेक्टर, जिला उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">(3)</p>	<p style="text-align: right;">  प्रशासकीय सदस्य </p>